

ऋण समझौता

यह ऋण करार अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर और अनुसूची (करार) में विनिर्दिष्ट तारीख को एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (एसबीएफसी/ऋणदाता), कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत कंपनी तथा भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका पंजीकरण सं. है, के बीच किया जाता है। [एन - 13.01913], और यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्कायर, संगम कॉम्प्लेक्स, सीटीएस नंबर 95 ए, 127 अंधेरी कुर्ला रोड, गांव चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 059 में अपना पंजीकृत कार्यालय है,

दूरभाष+91 22 67875300

सीआईएन नंबर: U67190MH2008PLC178270, वेबसाइट: www.sbcfc.com (यहां

"ऋणदाता" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति करेगा, जब तक कि यह अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब है और शीर्षक और असाइन में इसके उत्तराधिकारियों को शामिल करना है) पहले भाग का;

और

अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति (इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित/सामूहिक रूप से संदर्भित, जो अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है, जब तक कि यह उसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब होगा और उसके, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि (जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति/एकमात्र मालिक है), उत्तराधिकारी (जहां / उधारकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी है, (क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1956 या किसी अन्य निगमित निकाय के तहत उक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों या सदस्यों तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों के संबंध में समय-समय पर फर्म के उत्तरजीवी, उनके उत्तरजीवी और उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी के संबंध में उक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य या सदस्य तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशित (जहां उधारकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार है), अन्य भाग के;

जबकि:

- उधारकर्ता ने ऋणदाता से अनुसूची में उल्लिखित राशि के ऋण/वित्तीय सहायता के लिए संपर्क किया है।
- ऋणदाता ने उधारकर्ता द्वारा दिए गए और किए गए अभ्यावेदनों, वारंटियों, प्रसविदाओं और उपक्रमों पर भरोसा किया है, उधारकर्ता के अनुरोध पर विचार किया है और सुरक्षा पर और नियमों और शर्तों पर उधार देने और अग्रिम देने के लिए सहमत हुआ है।
- इसके पक्षकार निम्नलिखित नियमों और शर्तों को रिकॉर्ड करने के इच्छुक हैं ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले प्रस्तावित ऋण के संबंध में और उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों इसके बाद निहित तरीके से।

अनुच्छेद -1: व्याख्या

- 1.1 जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इस समझौते में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित शर्तों का अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा जाएगा: "परिशोधन अनुसूची" का अर्थ है इस समझौते से जुड़ी परिशोधन अनुसूची और इसमें समय-समय पर ऋणदाता द्वारा संलग्न या निर्धारित ऐसे सभी परिशोधन अनुसूची शामिल हैं।
- "उधारकर्ता" का अर्थ अनुसूची में उधारकर्ता के रूप में वर्णित व्यक्ति से है और इसमें एक सह-उधारकर्ता शामिल है।
- "समान मासिक किस्त" या ("ईएमआई") का अर्थ है ऋण के पूरे कार्यकाल के दौरान मासिक देय किस्त जो यहां संलग्न परिशोधन अनुसूची के अनुसार ऋण के परिशोधन के उद्देश्य से है या जिसे समय-समय पर संलग्न किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो या (ii) ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई परिक्रामी सुविधा के मामले में, प्रासंगिक उपयोग के लिए चुकौती अनुसूची के अनुसार देय किस्त जैसा कि ऋणदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
- "डिफॉल्ट की घटना" का अर्थ है निम्नलिखित में से किसी भी घटना का होना:
 - बकाया राशि का भुगतान: यदि इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार और/या किसी अन्य समझौते(ओं)/दस्तावेज(दस्तावेजों) के संदर्भ में ईएमआई या उसके किसी भाग के भुगतान और/या जो इसके बाद उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित किया जा सकता है, के संदर्भ में ऋणदाता को देय और देय किसी अन्य राशि के भुगतान में कोई चूक हुई है;
 - वाचाओं का प्रदर्शन: यदि इस समझौते के तहत उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य वाचा, शर्तों या समझौतों के प्रदर्शन में चूक हुई है या ऋण या किसी अन्य ऋण के संबंध में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच कोई अन्य समझौता(समझौताओं);
 - भ्रामक जानकारी की आपूर्ति: यदि कोई जानकारी दी गई है ऋण आवेदन में ऋणदाता के लिए उधारकर्ता या अन्यथा किसी भी भौतिक संबंध में भ्रामक या गलत पाया जाता है या अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी गलत पाई जाती है;
- प्रतिभूति का मूल्यहास: यदि कोई संपत्ति जिस पर ऋण के लिए प्रतिभूति सृजित की गई है, मूल्य में इस हद तक मूल्यहास करती है कि ऋणदाता की राय में आगे प्रतिभूति दी जानी चाहिए और ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है;

- संपत्ति की बिक्री या निपटान: यदि संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से को छुट्टी और लाइसेंस पर दिया जाता है, बेचा जाता है, निपटारा जाता है, चार्ज किया जाता है, भारग्रस्त किया जाता है या अन्यथा किसी भी तरह से अलग किया जाता है;
- संपत्ति की कुर्की या विक्षेप: यदि संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर कुर्की या विक्षेप लगाया जाता है और/या संपत्ति के खिलाफ उधारकर्ता से किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाती है या शुरू की जाती है;
- सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा आवश्यक कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
- डिफॉल्ट की घटना को सूचित करने में विफलता: यदि उधारकर्ता डिफॉल्ट की किसी भी घटना या किसी भी घटना की घटना के बारे में ऋणदाता को सूचित करने में विफल रहता है, जो नोटिस या समय की चूक के बाद या दोनों डिफॉल्ट की घटना बन जाएंगे;
- चेक/ईसीएस/एसएल/एसीएच/एनएसीएच का भुगतान न करना/नवीनीकरण न करना: यदि किसी भी भुगतान के संबंध में एक चेक/ईसीएस/51/एसीएच/एनएसीएच, ईएमआई सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो किसी भी कारण से, इस समझौते की अवधि के दौरान नवीनीकृत नहीं किया जाता है;
- चेक/ईसीएस/51/एसीएच/एनएसीएच का वितरण न होना: यदि उधारकर्ता ऋण की शर्तों के अनुसार या ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर पोस्ट डेटेड चेक/ईसीएस/51/एसीएच/एनएसीएच देने में विफल रहता है;
- शेष राशि की पुष्टि देने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता से विवरण प्राप्त करने के 10 (दस) दिनों के भीतर उधारकर्ता द्वारा बताए गए ऐसे विवरण की गणना में किसी भी प्रकट त्रुटि के अभाव में ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर ऋणदाता को ऋण की शेष पुष्टि पर हस्ताक्षर करने और वितरित करने में विफल रहता है;
- प्रतिभूति का अप्रवर्तनीय होना: यदि ऋण के लिए कोई सुरक्षा, या गारंटी निष्फल हो जाती है या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जाती है;
- तलाक या मृत्यु: जहां उधारकर्ता या जहां एक से अधिक उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया गया है, उधारकर्ताओं में से कोई भी तलाकशुदा है या मर जाता है;
- क्रॉस डिफॉल्ट: यदि उधारकर्ता उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता को प्रदान किए गए किसी अन्य ऋण या सुविधा के किसी भी नियम, अनुबंध और शर्तों के प्रदर्शन में चूक करता है;
- अंतिम उपयोग विवरण प्रस्तुत करने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता से इस तरह के अनुरोध प्राप्त करने के 10 (दस) दिनों के भीतर ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर ऋणदाता को ऋणदाता को ऋण का विस्तृत अंतिम उपयोग विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
- संविधान आदि में परिवर्तन: उधारकर्ता के संविधान, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व या शेयर पूंजी के नियंत्रण में कोई बदलाव होता है (यदि उधारकर्ता एक कंपनी या फर्म है), जिसे इस समझौते के अनुसार ऋणदाता द्वारा पहले से ही अधिसूचित और अनुमोदित नहीं किया गया है; और
- दिवाल्यापन: जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, यदि उधारकर्ता दिवाल्यापन का कार्य करता है या खुद को दिवाल्या घोषित करने के लिए आवेदन करता है या उधारकर्ता के खिलाफ उसे दिवाल्या घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है/ जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है, यदि उधारकर्ता को भंग कर दिया जाता है या उसे या उसके किसी भी भागीदार को विघटन का नोटिस दिया जाता है या यदि उधारकर्ता या उसका कोई भागीदार दिवाल्यापन या दिवाल्या घोषित किए जाने के लिए आवेदन करता है या इसे या उन्हें या उनमें से किसी को दिवाल्या घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है/ जहां उधारकर्ता है (vi) एक कंपनी, यदि उधारकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 के अर्थ के भीतर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या उधारकर्ता के समापन के लिए एक संकल्प पारित किया जाता है या इसके समापन के लिए कोई याचिका दायर की जाती है या समापन के लिए कोई आदेश उधारकर्ता के खिलाफ किया जाता है या यदि उधारकर्ता की किसी संपत्ति या संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक नियुक्त किया जाता है या उधारकर्ता को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत दिवाल्या घोषित किया जाता है इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड।
- बीमा प्राप्त करने में विफलता: उधारकर्ता इस समझौते के अनुसार अपनी संपत्ति पर प्रासंगिक बीमा पॉलिसियों की खरीद और रखरखाव करने में विफल रहता है। उधारकर्ता द्वारा अनुबंधित या लिया गया कोई भी बीमा किसी भी समय 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण बल और प्रभाव में नहीं है, या समाप्त नहीं होता है, जब इसे प्रभावी होना आवश्यक होता है या किसी भी बीमा से बचा जाता है, या कोई बीमाकर्ता या पुनः बीमाकर्ता बचता है या निलंबित करता है या बचने या निलंबित करने का हकदार बन

- जाता है, किसी भी बीमा या इसके तहत कोई दावा या अन्यथा किसी भी बीमा के तहत अपनी देयता को कम करता है या किसी भी बीमा के किसी भी बीमाकर्ता को किसी भी बीमा के तहत पूर्ण या आंशिक रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।
- xi) गैरकानूनीता: उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करना गैरकानूनी है या हो जाता है।
- xx) कानून में परिवर्तन: उधारकर्ता पर लागू किसी भी कानून और/या विनियमन में कोई भी बदलाव, जो ऋणदाता की राय में, उधारकर्ता के राजस्व पर पर्याप्त प्रभाव डालता है।
- e) "ब्याज" या "ब्याज दर" का अर्थ वह दर है जिस पर ऋणदाता उधारकर्ता को उधार देने के लिए सहमत हुआ है जो अनुसूची में उल्लिखित है, और जो या तो फ्लोटिंग दर या निश्चित दर या दोहरी ऋण दर होगी।
- f) "ऋण" का अर्थ है अनुसूची में उल्लिखित उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की राशि और इसमें मूल राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और/या कोई अन्य राशि शामिल है जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को इस समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार देय है।
- g) "ऋण आवेदन" का अर्थ है ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्य के लिए ऋणदाता से वित्त सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन।
- h) "व्यक्ति" में एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, समाज और व्यक्तियों का संघ शामिल है।
- i) "संपत्ति" का अर्थ है आवासीय या वाणिज्यिक अचल संपत्ति, अनुसूची या किसी अन्य संपत्ति में वर्णित है जिसे ऋणदाता को ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा के रूप में पेश किया गया है और इसमें शामिल हैं:
 - एक प्लैट के मामले में, पूरे निर्मित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा और इमारत के नीचे की भूमि जिसमें प्लैट का निर्माण या निर्माण किया गया है; नहीं तो
 - एक व्यक्तिगत घर के मामले में, घर और भूमि का पूरा भूखंड जिस पर घर का निर्माण किया जाता है;
- j) "पूर्व भुगतान" का अर्थ है इस समझौते के अनुच्छेद 2.6 की शर्तों के अधीन किसी भी समय ऋण का पुनर्भुगतान, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से,
- k) "अनुसूची" का अर्थ इस अनुबंध से जुड़ी अनुसूची से है।
- l) "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस" (डेबिट क्लियरिंग) को इसके बाद "ईसीएस" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित डेबिट क्लियरिंग सेवा से है, जिसमें भागीदारी के लिए उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है ताकि समान मासिक किस्तों के भुगतान की सुविधा मिल सके, जैसा कि विशेष रूप से अनुबंध की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- m) इसके बाद "एसआई" के रूप में संदर्भित "स्थायी अनुदेश" का अर्थ होगा कि उधारकर्ता द्वारा अपने बैंक को जारी किए गए लिखित निर्देश ऋण के पुनर्भुगतान के लिए ऋणदाता को भुगतान के लिए समान मासिक किस्तों के बराबर राशि के लिए बैंक के साथ बनाए गए उधारकर्ता के खाते को डेबिट करने के लिए जैसा कि विशेष रूप से समझौते की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- n) "स्वचालित समाशोधन गृह" जिसे इसके बाद "ACH" के रूप में संदर्भित किया गया है, का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा जारी लिखित निर्देश जनादेश फॉर्म या किसी अन्य फॉर्म के माध्यम से जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित और आवश्यक या अधिसूचित किया गया है, जिसमें भागीदारी को उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है समान मासिक किस्तों के भुगतान की सुविधा के लिए, जैसा कि विशेष रूप से समझौते की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- o) "नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस" को इसके बाद "एनएसीएच" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसका अर्थ उधारकर्ता द्वारा जारी लिखित निर्देशों को जनादेश फॉर्म या किसी अन्य फॉर्म के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित और आवश्यक या अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें भागीदारी को उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है समान मासिक किस्तों के भुगतान की सुविधा के लिए, जैसा कि विशेष रूप से समझौते की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।
- p) "उपयोग" का अर्थ समझौते के खंड 2.1 (b) में निर्धारित किया गया है।
- q) के संदर्भ में संचार के स्वीकार्य साधन:
- A) उधारकर्ता, का अर्थ होगा:
- (i) ऋण आवेदन पत्र में दिए गए प्रावधान के अनुसार उधारकर्ता के पंजीकृत मोबाइल/लैंडलाइन नंबर पर भेजा गया टेलीफोन कॉल या टेक्स्ट संदेश; या
- (ii) ऋण आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के पंजीकृत ईमेल पते पर एक ईमेल या
- (iii) उधारकर्ता के पंजीकृत डाक पते पर कूरियर/डाक द्वारा भेजा गया लिखित नोटिस या
- (iv) चैटबॉट, बिटली, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप संचार और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड और/या के माध्यम से संदेश का परीक्षण करना
- (v) ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना
- (B) ऋणदाता, का अर्थ होगा:
- (i) वेबसाइट पर दिए गए अनुसार ऋणदाता के नामित ग्राहक सेवा नंबर पर प्राप्त एक टेलीफोन कॉल, या
- (ii) ऋणदाता के नामित ग्राहक सेवा ईमेल पते पर प्राप्त एक ईमेल
- r) "दोहरी दर ऋण" का अर्थ ऐसे ऋण से होगा जहां वार्षिक ब्याज दर इस समझौते की अनुसूची में निर्धारित निश्चित दर अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर होगी और उसके बाद अस्थिर ब्याज दर होगी जो इस समझौते की अनुसूची में विस्तृत रूप से अस्थिर दर अवधि के लिए एसबीएफसी पीएलआर से जुड़ी होगी।
- s) दोहरी दर ऋण प्राप्त करने वाले उधारकर्ता के लिए "निश्चित दर अवधि" का अर्थ ऋण अवधि का वह हिस्सा होगा जिसके दौरान ऋण पर ब्याज की निश्चित दर लागू होगी और इस समझौते की अनुसूची में निर्धारित की गई है।
- t) दोहरी दर ऋण लेने वाले उधारकर्ता के लिए "फ्लोटिंग रेट अवधि" का अर्थ ऋण अवधि का वह हिस्सा होगा जिसके दौरान ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होगी, जो कि निश्चित दर अवधि के पूरा होने के बाद शुरू होगी और इस समझौते की अनुसूची में निर्धारित है।
- u) यदि दोहरी दर पर ऋण लिया जा रहा हो
- a. निश्चित दर अवधि के लिए, अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित निश्चित ब्याज दर फ्लोटिंग रेट अवधि के लिए, स्प्रेड की राशि, जैसा कि अनुसूची में उल्लेख किया गया है और इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में फ्लोटिंग रेट अवधि के प्रारंभ की तिथि पर लागू एसबीएफसी पीएलआर। इस समझौते की तिथि पर एसबीएफसी पीएलआर अनुसूची में बताए अनुसार है।
- 1.2 इस अनुबंध में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो
- a) लेखों के संदर्भों को इस समझौते के लेखों के संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए;
- b) अनुसूची के संदर्भों को अनुसूची के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाना है
- यह समझौता और किसी भी पूरक या अतिरिक्त अनुसूची, समय-समय पर पार्टियों द्वारा निष्पादित और इस समझौते के संदर्भों में समय-समय पर संलग्न ऐसी सभी अनुसूचियों के संदर्भ शामिल हैं;
- c) किसी व्यक्ति के प्रति संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें निम्नलिखित के संदर्भ शामिल हैं व्यक्ति, फर्म, ऋणदाता या अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं;
- d) "व्यावसायिक दिवस" के संदर्भ को उस दिन (सार्वजनिक अवकाश या रविवार के अलावा) के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जिस दिन बैंक आम तौर पर मुंबई में व्यवसाय के लिए खुले हैं;
- e) एक "महीने" के संदर्भ को अवधि के संदर्भ के रूप में माना जाएगा
- एक कैलेंडर महीने के एक दिन से शुरू करना और अगले सफल कैलेंडर महीने में संख्यात्मक रूप से संबंधित दिन पर समाप्त होना उसे सहजें जहां ऐसी कोई अवधि उस दिन समाप्त होती है जो व्यावसायिक दिन नहीं है, वह अगले सफल कारोबारी दिन पर समाप्त होगी, जब तक कि वह दिन एक कैलेंडर महीने में नहीं आता है, जिसमें यह अन्यथा समाप्त हो जाता, जिस स्थिति में यह तुरंत पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिन पर समाप्त हो जाएगा; बशर्ते कि यदि कोई अवधि किसी कैलेंडर माह में अंतिम व्यावसायिक दिवस पर शुरू होती है, जिसके लिए सफल कैलेंडर माह में संख्यात्मक रूप से संबंधित व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि उस बाद के कैलेंडर माह के अंतिम व्यावसायिक दिन पर समाप्त हो जाएगी; और
- f) बहुवचन आयात करने वाले शब्दों में एकवचन शामिल होगा और इसके विपरीत।
- 1.3 अनुच्छेद शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और इसके प्रावधान की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।
- अनुच्छेद- 2: ऋण, ब्याज, परिशोधन, कर और पूर्व भुगतान
- 2.1 ऋण:
- a) उधारकर्ता ऋणदाता से उधार लेने के लिए सहमत होता है और ऋणदाता उधारकर्ता को एक राशि उधार देने के लिए सहमत होता है जैसा कि यहां निर्धारित नियमों और शर्तों पर अनुसूची में कहा गया है।
- b) ऋण आमतौर पर एकमुश्त एक राशि में वितरित किया जाएगा। उधारकर्ता एट्टवारा वितरित ऋण की प्राप्ति को स्वीकार करता है जैसा कि नीचे रसीद में दर्शाया गया है। इस संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। संवितरण चेक/ड्राफ्ट की तारीख को संवितरण की तारीख के रूप में माना जाएगा। परिक्रामी सुविधा के मामले में, उधारकर्ता ऋणदाता से एक या अधिक उपयोगों ("उपयोग") में ऋण की मूल राशि प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है। बशर्ते कि सभी उपयोगों का योग किसी भी समय ऋण की मूल राशि या ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक उपयोग के लिए, उधारकर्ता ऋणदाता को स्वीकार्य रूप और तरीके से उपयोग अनुरोध प्रस्तुत करेगा। उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को चुकाए गए किसी भी उपयोग (उपयोगों) का लाभ उधारकर्ता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार उठाया जा सकता है। ऋणदाता उधारकर्ता से

प्राप्त उपयोग के लिए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

- c) इस समझौते के तहत या शर्तों के तहत ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले सभी भुगतान चेक/डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान द्वारा किए जाएंगे। आदेश को विधिवत रेखांकित करें और केवल खाता भुगतानकर्ता/इलेक्ट्रॉनिक फंड के रूप में चिह्नित करें

ऐसे सभी चेक के संबंध में स्थानांतरण और संग्रहण शुल्क, यदि कोई हो, उधारकर्ता को वहन करना होगा।

2.2 ब्याज और कर:

- a) ऋण पर लागू ब्याज दर अनुसूची में बताई गई है। बशर्त कि यदि ऋणदाता पूर्ण ऋण के संवितरण से पहले ब्याज दर को कम या बढ़ा देता है तो लागू ब्याज दर अलग-अलग होगी
- संवितरित किश्तों का संदर्भ / संवितरित किया जाना है।
- ऋण पर ब्याज की फ्लोटिंग दर का मतलब है कि ब्याज दर ऋणदाता यानी एसबीएफसी की प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर) से जुड़ी हुई है और बाद में बदलाव के साथ अलग-अलग होगी।
 - ब्याज की निश्चित दर का अर्थ है ऋण की अवधि की शुरुआत में तय की गई दर और पूरे ऋण अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है जब तक कि अप्रत्याशित बाजार स्थितियों से प्रभावित न हो।
 - दोहरी दर वाले ऋण ब्याज में इस समझौते की अनुसूची में निर्धारित निश्चित दर अवधि के लिए ब्याज की दर निश्चित होगी और उसके बाद ब्याज की अस्थिर दर होगी जो इस समझौते की अनुसूची में विस्तृत रूप से अस्थिर दर अवधि के लिए एसबीएफसी पीएलआर से जुड़ी होगी।

- b) ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर ऋण की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 15 अक्टूबर को या किसी भी समय या समय-समय पर अपनी नीति, बाजार स्थितियों और/या लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हो, की समीक्षा करेगा और ब्याज दर को रीसेट करेगा। ऋणदाता उधारकर्ता को नियत समय में ब्याज में भिन्नता के बारे में सूचित करने का प्रयास करेगा।
- c) उधारकर्ता को ब्याज अवधि के शेष भाग के लिए और उसके बाद प्रत्येक सफल ब्याज अवधि के लिए यथानुपात संशोधित ब्याज का भुगतान करना होगा और जब तक कि ऋणदाता द्वारा ऐसा कोई और संशोधन नहीं किया जाता है और सूचित नहीं किया जाता है।
- d) उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऋण पर ब्याज (और/या अन्य शुल्क) पर लगाए गए किसी भी कर के कारण केंद्र या राज्य सरकार को ऋणदाता द्वारा भुगतान की गई हो या देय हो। उधारकर्ता प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जब और जब ऋणदाता द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है
- e) उधारकर्ता सभी करों, प्रभारों, लेवी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सरकार / किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऋण समझौते के तहत प्रदान किए जाने वाले लेनदेन / गतिविधियों / सेवाओं के संबंध में लगाए जा सकते हैं। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ईएमआई को किसी भी वृद्धिशील करों द्वारा बढ़ाया जाएगा, चाहे वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क के माध्यम से हो शुल्क या कोई अन्य कर, न ही या इसके बाद पूर्वव्यापी या संभावित प्रभाव के साथ इस लेनदेन पर लगाया गया।

- 2.3 ब्याज की गणना: ईएमआई में लागू दर पर वार्षिक दरों के आधार पर गणना की गई मूलधन और ब्याज शामिल है और इसे अगले रुपये में बदल दिया जाता है। ब्याज और किसी भी अन्य शुल्क की गणना एक वर्ष की साधारण ब्याज पद्धति के आधार पर की जाएगी जिसमें तीन सौ साठ दिन शामिल हैं।

2.4 परिशोधन

- a) अनुच्छेद 2.2 के अधीन, उधारकर्ता परिशोधन अनुसूची के अनुसार ऋण को परिशोधन करेगा। हालांकि, किसी भी कारण से किसी भी किश्त के संवितरण में देरी या समय से पहले होने की स्थिति में, ईएमआई शुरू होने की तारीख उस महीने के बाद के महीने का पहला दिन होगा जिसमें लोन की सभी किश्तों का वितरण किया गया होगा।
- b) उपरोक्त अनुच्छेद 2.4 (ए) और परिशोधन अनुसूची के बावजूद, ऋणदाता को किसी भी समय या समय-समय पर ऋण की चुकौती शर्तों या उसकी बकाया राशि की समीक्षा और पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा। हालांकि, परिशोधन अनुसूची को पुनर्निर्धारित करने से पहले, ऋणदाता उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा।
- c) उधारकर्ता अपनी मर्जी से ऋणदाता को अपनी आय का विवरण भेजेगा, हर साल इसकी तारीख से। हालांकि, ऋणदाता को किसी भी समय उधारकर्ता से अपने रोजगार, व्यापार, व्यवसाय या पेशे से संबंधित ऐसी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और उधारकर्ता को ऐसी जानकारी/दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करने होंगे।
- d) ऋणदाता ऐसी ईएमआई की नियत तारीख को या उसके बाद किसी भी समय अपने बैंक में ईएमआई के संबंध में उपयुक्त पोस्ट डेटेड चेक प्रस्तुत करने का हकदार होगा।
- e) यदि ऋणदाता किसी भी कारण से पद जमा नहीं करता है दिनांकित चेक की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले दिनांकित चेक या किसी भी कारण से, पुनर्भुगतान के ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच मोड के अनुसार ईएमआई प्राप्त नहीं करता है, तो उधारकर्ता इस संबंध में ऋणदाता द्वारा अनुरोध के सात (7) दिनों के

भीतर, समान राशि के नए पोस्ट डेटेड चेक वितरित करेगा या समतुल्य निधियों के हस्तांतरण के लिए आहर्ता बैंक को नए निर्देश जारी करेगा ऋणदाता को ईएमआई के लिए, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करना कि ताजा पोस्ट डेटेड चेक या ईसीएस

- / एसआई/एसीएच/एनएसीएच निर्देश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, का सम्मान किया जाता है और ऋणदाता को ईएमआई के बराबर राशि प्राप्त होती है।
- f) उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए वैध ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच निर्देश प्रदान करने के लिए सहमत है। ऐसे निर्देशों के अभाव में, ऋणदाता को पोस्टडेटेड चेक एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। वैध ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच के सक्रिय होने पर या ऋण बंद होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ऋणदाता अपने विवेक से, पोस्टडेटेड चेक को नष्ट कर सकता है और उधारकर्ता को इसकी सूचना देगा।
- g) उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक या किसी अन्य लिखत के अनादरण के मामले में या जहां उधारकर्ता उसके द्वारा जारी एसआई/ईसीएस/एसीएच/एनएसीएच अनुदेशों को अदाकर्ता बैंक को रद्द कर देता है या जहां उधारकर्ता द्वारा एसआई/ईसीएस/एसीएच/एनएसीएच मोड के तहत अदाकर्ता बैंक को निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, ऋणदाता को समान मासिक किश्तों के बराबर धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, उधारकर्ता सहमत होता है और वचन देता है कि वह संबंधित महीने के लिए अतिदेय किस्त भेजने के लिए ऋणदाता की निकटतम शाखा का दौरा करेगा और ईसीएस/एसीएच/एनएसीएच का नया मैडेड जमा करेगा या उधारकर्ता एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करेगा और ऐसे संबंधित महीने में ऋणदाता को सूचित करेगा; ऐसा न करने पर उधारकर्ता(ओं) को ऐसे प्रत्येक चेक/एसआई के संबंध में नीचे उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार के साथ ईएमआई का भुगतान करना होगा
- h) ऋणी द्वारा जारी किए गए अस्वीकृत चेकों, प्रतिसंहरित ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच निर्देशों या ऐसे ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच निर्देशों, जिनके बावजूद ऋणदाता को किसी भी कारण से ईएमआई के समतुल्य धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, को डिमांड ड्राफ्ट से प्रतिस्थापित करने या बाउंस हो गए चेकों/ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच के बदले नकद भुगतान करने के अलावा, ऋणी ऋण की उक्त किस्त के भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक विलंबित भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जैसा कि अनुबंध की अनुसूची में उल्लेख किया गया है और साथ ही इस संबंध में कानूनी शुल्क सहित ऋणदाता को उचित लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ऋणदाता द्वारा उपर्युक्त चेकों या अन्य लिखतों/एसआई/ईसीएस/एसीएच/एनएसीएच, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुति के संबंध में ऋणी को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत ऋणदाता के अधिकार और इस अनुबंध के अंतर्गत उसके अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणदाता को देय भुगतान से ऋणी किसी भी राशि को अलग करने, रोक रखने या कटौती करने का अधिकारी नहीं होगा और इसके लिए सहमत है।
- i) ऋण की समान मासिक किश्तों के लिए उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए पोस्ट-डेटेड चेक/ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच को उधारकर्ता द्वारा उसके/अपने/अपने विकल्प पर समतुल्य राशि की राशि के किसी अन्य बैंक खाते पर आहरित पोस्ट-डेटेड चेक/ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच देकर अदला-बदली की जा सकती है मासिक किश्तों को स्वेप करने का इरादा है ~~ये~~ विषय को बदल दिया प्रति स्वेप शुल्क ("स्वेप शुल्क") के भुगतान के लिए जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उधारकर्ता को अधिसूचित किया जा सकता है। इस संबंध में होने वाली कोई भी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।
- j) उधारकर्ता भी सहमत है कि वह / यह / वे कोई निर्देश नहीं देंगे ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक जमा नहीं करेगा। उधारकर्ता आगे वचन देता है कि समान मासिक किश्तों के भुगतान के लिए ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच मोड में भाग लेने के लिए उसकी/उसकी/उनकी सहमति ऋणदाता के अनुमोदन के बिना इस करार की अवधि के दौरान रद्द नहीं की जाएगी। यदि उधारकर्ता ईसीएस/एसआई/एसीएच/एनएसीएच मोड में भाग लेने के लिए अपनी/अपनी/अपनी सहमति को रद्द कर देता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसा ऋणदाता को धोखा देने के लिए किया गया है और उधारकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 और किसी अन्य कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा।
- k) यदि ऋण के संबंध में उधारकर्ता बाध्यात्ताओं द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि से बचा जाता है या उधारकर्ता के परिसमापन या प्रशासन पर या अन्यथा अलग रखा जाता है, तो इस समझौते के प्रयोजन के लिए ऐसी राशि को भुगतान नहीं माना जाएगा जब ऐसा भुगतान वापस कर दिया जाता है या ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता या किसी अन्य दावेदार को वापस करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।
- 2.5 ईएमआई के भुगतान में देरी:
- a) नियत तारीख पर नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान करने के दायित्व के बारे में उधारकर्ता को कोई नोटिस, रिमाइंडर या सूचना नहीं दी जाएगी। ईएमआई का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करना पूरी तरह से उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
- b) ईएमआई के भुगतान में देरी पर इस अनुबंध की अनुसूची में उल्लेखानुसार ऋणी विलंबित भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में ऋणी ऋणदाता

को आकस्मिक शुल्कों और खर्चों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

- c) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते के तहत प्रदान किया गया ऋण एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है और यह स्पष्ट रूप से किसी भी बचाव को माफ करता है जो ब्याज के चार्ज से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध हो सकता है।

2.6 पूर्व भुगतान:

- a) ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो निर्धारित किए जा सकते हैं, जिसमें अनुसूची ("पूर्व भुगतान शुल्क") में निर्दिष्ट पूर्व भुगतान शुल्क के भुगतान तक सीमित नहीं है, उधारकर्ता के अनुरोध पर ईएमआई के त्वरण या ऋण के पूर्व-भुगतान की अनुमति दे सकता है। बशर्ते कि ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई परिक्रामी सुविधा के मामले में, उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व सहमति से और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जैसा कि ऋणदाता निर्धारित कर सकता है, बिना किसी पूर्व भुगतान शुल्क के किसी भी उपयोग की मूल राशि का पूर्व भुगतान कर सकता है।
- b) लेंडर किसी भी परिस्थिति में प्रीपेमेंट शुल्क माफ नहीं करेगा। ऋणदाता अपने विवेकाधिकार पर ऋण की अवधि के दौरान अपनी पॉलिसी के अनुसार, यदि कोई हो, किसी भी समय और समय-समय पर पूर्व भुगतान शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा। ऋणदाता उधारकर्ता को नियत समय में पूर्व भुगतान शुल्क में भिन्नता के बारे में सूचित करने का प्रयास करेगा।
- c) पूर्व भुगतान केवल शर्तों के अनुसार किया जाएगा और इस समझौते की शर्तों और ईएमआई के शुरू होने की नियत तारीख पर। यदि उधारकर्ता संबंधित ईएमआई के प्रारंभ होने की नियत तारीख से पहले ऋणदाता को किसी भी राशि का भुगतान करता है, तो ऋणदाता उस तरीके से उसे विनियोजित करने का हकदार होगा जैसा कि वह उचित समझता है, और ऐसी राशि के भुगतान के संबंध में क्रेडिट ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को केवल प्रासंगिक ईएमआई के प्रारंभ होने की नियत तारीख पर दिया जाएगा। इस ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई भी प्रीपेड राशि पुनः उधार नहीं ली जा सकती है, सिवाय उधारकर्ता को उपलब्ध रिवाँलिंग लाइन ऑफ क्रेडिट को छोड़कर

- 2.7 संवितरण के लिए अंतिम तिथियां: इसमें निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऋणदाता उधारकर्ता को नोटिस द्वारा ऋण को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि ऋण मंजूरी पत्र की तारीख से छह (6) महीने के भीतर पूरी तरह से आहरित नहीं किया गया है या ऐसी अन्य तारीख जो ऋणदाता समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

ऋणदाताओं के पास बिना कोई कारण बताए ऋण सुविधा या उसके किसी हिस्से को रोकने और/या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

2.8 समान मासिक किशतों में परिवर्तन और पुनः निर्धारण:

उपरोक्त अनुच्छेद 2.7 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि स्वीकृत पत्र की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर उधारकर्ता द्वारा ऋण नहीं लिया जाता है, तो ईएमआई को इस तरह से बदला और पुनर्निर्धारित किया जा सकता है और इस हद तक ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक में निर्णय ले सकता है

और ऋण का परिशोधन नई परिशोधन अनुसूची के अनुसार होगा, इसके बावजूद अनुसूची या किसी भी पहले के परिशोधन अनुसूची में निहित कुछ भी विपरीत नहीं है।

2.9 उधारकर्ताओं की देयता संयुक्त और कई होनी चाहिए: घटना में

एक से अधिक उधारकर्ता, उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि ऋण को परिशोधित करने और इस समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए उधारकर्ताओं की देयता और/या कोई अन्य समझौते और दस्तावेज जो ऐसे उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता के साथ निष्पादित किए जा सकते हैं या निष्पादित किए जा सकते हैं, इस ऋण या किसी अन्य ऋण या ऋण के संबंध में संयुक्त और कई हैं।

- 2.10 लागू कानून के अधीन, उधारकर्ता द्वारा किसी भी योजना का चयन करने या अपने नियोक्ता से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, सेवानिवृत्ति से पहले रोजगार से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने के लिए किसी भी लाभ के लिए प्रदान करने पर, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से अपने रोजगार को समाप्त करने पर या उधारकर्ता पर किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर, फिर इस समझौते या किसी भी पत्र या दस्तावेज में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, ऋण की पूरी बकाया मूल राशि के साथ-साथ किसी भी बकाया ब्याज और अन्य बकाया राशि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऐसी योजना या प्रस्ताव के तहत नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्य राशि में से देय हो जाएगी, या कोई टर्मिनल लाभ, जैसा भी मामला हो। बशर्ते, उक्त राशि ऋण को पूरी तरह से परिशोधन करने के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में, ऋणदाता को देय शेष अवैतनिक राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस तरह से किया जाएगा जैसा कि ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से निर्णय ले सकता है और भुगतान उधारकर्ता द्वारा तदनुसार किया जाएगा, अनुच्छेद 2.4 और अनुसूची और/या परिशोधन अनुसूची में कुछ भी बताए जाने के बावजूद। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता को अपने नियोक्ता से सीधे आवेदन करने, संवाद करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है।

2.11 ऋणदाता द्वारा ऋण की रिकॉल:

- a) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता किसी भी कारण से आंशिक रूप से या पूरी तरह से

ऋण वापस बुला सकता है, जिसमें जोखिम धारणा में परिवर्तन शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है, ऋण राशि मंजूरी ऋण सीमा तक पहुंच गई है या उल्लंघन कर रही है, ऋणदाता द्वारा गणना / पुनः गणना के कारण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन या, यदि, किसी भी समय, यह ऋणदाता के लिए इस समझौते द्वारा विचार किए गए अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने या ऋण में अपनी भागीदारी को निधि देने या बनाए रखने के लिए गैरकानूनी है या होगा और ऐसी परिस्थितियों में जहां ऋणदाता द्वारा ऋण वापस लेने की मांग की जाती है / उपलब्ध सुरक्षा / संपाशिक को बढ़ाने के लिए, उधारकर्ता यदि अनुमति दी जाती है तो उस दिन के रूप में अनुमत प्रतिभूतियों की सूची से प्रतिभूतियों को प्रदान कर सकता है ऋण राशि के लिए पर्याप्त संपाशिक/प्रतिभूति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- b) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, अपने विवेक से, ऋण (ओं) को वापस बुला सकता है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक ऋण के लिए चुकोती अनुसूची ऋणदाता के ऋण या संपूर्ण ऋण के तहत भुगतान की गई राशि को वापस लेने और ऋण शेष राशि (ओं) के तहत ऋणदाता को देय राशि के भुगतान की मांग करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा भी मामला हो।
- c) नोटिस की अवधि की समाप्ति पर, या यदि कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण रद्द कर दिया जाएगा और ऋण (ओं) के तहत देय सभी राशियां, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को तुरंत देय हो जाएंगी और सुरक्षा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा तुरंत लागू हो जाएगी।

अनुच्छेद- 3 : पूर्ववर्ती शर्तें

- 3.1 ऋण या उसके किसी भी हिस्से के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती शर्तें निम्नलिखित होंगी:

शीर्षक: उधारकर्ता के पास एक पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक होगा संपत्ति और इसके द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सुरक्षा और यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति और इसके तहत प्रदान की गई कोई अन्य सुरक्षा पूरी तरह से भारमुक्त है और किसी भी दायित्व और पूर्व शुल्क से मुक्त है। उधारकर्ता प्रतिभूति की विषय-वस्तु होने के कारण संपत्ति के स्पष्ट, विपणन योग्य और भारमुक्त शीर्षक का स्वत्वाधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

- 3.2 संवितरण के लिए अन्य शर्तें: इस समझौते के तहत ऋण या उसके किसी भी किशत का संवितरण करने के लिए ऋणदाता का दायित्व भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- a) डिफॉल्ट की घटना: डिफॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई होगी।
- b) संवितरण के उपयोग का साक्ष्य: अनुरोध के समय ऋण और/या उसकी किशत का कोई भी संवितरण उधारकर्ता द्वारा ऋण आवेदन में बताए गए अनुसार उधारकर्ता के एकमात्र और अनन्य उद्देश्य के लिए तुरंत आवश्यक होगा, और उधारकर्ता ऋण के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग या उसके किसी भी हिस्से के रूप में ऋणदाता के लिए संतोषजनक सबूत पेश करेगा।
- c) असाधारण परिस्थितियां: कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई होंगी जो उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बनाती हैं।
- d) लंबित कानूनी कार्यवाही: उधारकर्ता ने एक प्रस्तुत किया होगा

इस आशय की घोषणा कि कानून या सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उधारकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, मुकदमा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या उधारकर्ता के खिलाफ धमकी दी गई है, जिसका वित्तीय और अन्य मामलों पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है उधारकर्ता का या जो इस समझौते या इसकी किसी भी शर्त की वैधता या प्रदर्शन पर खतरा उठा सकता है और शर्तों।

- e) इस आशय की घोषणा/वचन कि उधारकर्ता के पास इस समझौते के तहत सुरक्षा के रूप में पेश की जाने वाली संपत्ति/किसी अन्य सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है, जो उचित संदेह और भार से मुक्त है और यह कि उधारकर्ता किसी भी जोखिम के खिलाफ ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा और आगे पुष्टि करेगा कि ऋण लेने या ऋण समझौते के तहत दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने से कोई उधार नहीं होगा, उस पर बाध्यकारी सुरक्षा या इसी तरह की सीमा को पार करने के लिए बाध्य करना। उधारकर्ता पिछले वित्तीय वर्ष की तारीख से उधारकर्ता के व्यवसाय, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), संचालन, प्रदर्शन, संपत्तियों या संभावनाओं में किसी भी भौतिक प्रतिकूल परिवर्तन की अनुपस्थिति की पुष्टि करेगा।

- f) उधारकर्ता ने ऋण की राशि के लिए ऋणदाता के पक्ष में एक मनी बॉन्ड या एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट निष्पादित और वितरित किया होगा।

- g) उधारकर्ता ने संपत्ति के संबंध में एक व्यापक और समग्र बीमा पॉलिसी या ऋणदाता द्वारा अपनी लागत और खर्च पर आवश्यक किसी अन्य बीमा पॉलिसी को प्राप्त किया होगा। बीमा पॉलिसी या तो संपत्ति के संरचनात्मक मूल्य और अन्य सुरक्षा या ऋण, जो भी कम हो, को कवर करने वाली राशि के लिए होगी। उधारकर्ता बीमा पॉलिसी पर नोट किए गए ऋणदाता का ग्रहणाधिकार (हानि दाता के रूप में) प्राप्त करेगा, यह पुष्टि करेगा कि ऋणदाता का पॉलिसी की आय पर पहला दावा होगा और ऋणदाता को उक्त पॉलिसी की एक सच्ची प्रति प्रस्तुत करेगा।

- h) उधारकर्ता उधारकर्ता के नवीनतम लेखापरीक्षित और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की सत्य प्रति प्रदान करेगा।
- i) उधारकर्ता ने ऋणदाता की संतुष्टि के लिए एक गारंटी प्राप्त की होगी, यदि ऋणदाता को इसकी आवश्यकता हो।
ऋणदाता के इस बात से संतुष्ट होने पर कि इस समझौते के संदर्भ में सभी प्रथम शर्तों की पूर्ववर्ती विधिवत पूरी कर ली गई हैं और प्रासंगिक प्रथम शर्तों के पूर्ववर्ती के पूरा होने का प्रमाण देने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति हुई है, ऋणदाता, अपने विवेकाधिकार पर, किशत। ऋण को उधारकर्ता के खाते में या ऐसे खाते में वितरित कर सकता है जैसा कि संवितरण अनुरोध में उल्लेख किया जा सकता है।
- j) आईएलओ सम्मेलनों, ईएसजी जोखिम मूल्यांकन और नैतिक मानकों का अनुपालन: उधारकर्ता इसके द्वारा सभी लागू अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्मेलनों का पालन करने और इससे जुड़े पर्यावरण, सामाजिक, श्रम और स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का गहन मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उधारकर्ता सभी नैतिक, कानूनी और नियामक मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और किसी भी उल्लंघन या कदाचार का पता लगाने, रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए सक्रिय उपाय करेगा।
उधारकर्ता यह भी आश्वासन देता है कि वह ऋणदाता की नीतियों द्वारा बाहर की गई किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, न ही ऐसा करेगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय या स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली, पर्यावरणीय स्थिरता से समझौता करने वाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं या मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद - 4: सुरक्षा हित
4.1 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋण, ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता प्रभार, दंडात्मक प्रभार, बाउंस चेक शुल्क, भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) और कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) संपादित पर सुरक्षा बनाने के लिए शुल्क (जैसा कि यहां अनुसूची में निर्दिष्ट है), और इस समझौते या किसी अन्य समझौते के तहत देय व्यय और अन्य सभी राशियों का परिशोधन पहले और अनन्य शुल्क द्वारा सुरक्षित किया जाएगा संपत्ति पर ऋणदाता के पक्ष में बंधक के साथ-साथ सभी वर्तमान और भविष्य की संरचनाओं का निर्माण/निर्माण किया जाना और उधारकर्ता की ऐसी अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों के रूप में ऋणदाता हो सकता है, ऋणदाता को स्वीकार्य तरीके से आवश्यकता होती है।
- 4.2 उधारकर्ता ऋणदाता को इस करार के अंतर्गत देय ऋण, ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता प्रभार, लागत, प्रभार और व्यय तथा इस करार के अंतर्गत देय अन्य सभी राशियों के पुनर्भुगतान और भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, यदि ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो, तो यहां संलग्न प्रारूप में तृतीय पक्ष ("गारंटर") से बिना शर्त और अप्रतिबंधनीय गारंटी (व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट) भी प्राप्त करेगा।
- 4.3 ऋणदाता को अपने विवेकाधिकार में बंधक के प्रकार या किसी अन्य सुरक्षा और/या अतिरिक्त सुरक्षा (सूचीबद्ध/असूचीबद्ध कंपनियों के 100% शेयरों की प्रतिज्ञा और/या सभी साझेदारी ब्याज पर बंधक के रूप में प्रभार सहित) का निर्णय लेने का अधिकार होगा। ऋण और पूर्वोक्त अन्य सभी राशियों को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा सृजित किए जाने के लिए संबंधित भागीदारों का वर्तमान और भावी साझेदारी अधिकार, शीर्षक और हित जैसा भी मामला हो, ऋणदाता द्वारा सृजित किया जाएगा और उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को बनाने और विधिवत निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा। उधारकर्ता आगे इस बात से सहमत है कि संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 6 में निर्धारित अभाववेदन और वारंटी इस अनुच्छेद 4.3 के अनुसार प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा पर उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन लागू होंगे और इस अनुच्छेद 4.3 के अनुसार प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए समझे जाएंगे।
- 4.4 उधारकर्ता ऋण हासिल करने के लिए किसी भी बांड (ऑ) या वचन पत्र और ऐसे अन्य दस्तावेजों, अर्द्धों की शक्तियों और समझौतों को निष्पादित करेगा जो ऋणदाता द्वारा आवश्यक हो सकते हैं।
- 4.5 ऋणदाता द्वारा मांग पर उधारकर्ता और/या गारंटर से भविष्य में अलग से ली गई या बाद में ली जाने वाली किसी भी प्रतिभूतियों को इस समझौते के तहत प्रतिभूतियां माना जाएगा। ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर, और/या गारंटर अपने हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त/वैकल्पिक स्वीकार्य सुरक्षा (सुरक्षाओं) की मांग करेगा, जो इस समझौते के तहत दी जाने वाली सुरक्षा का हिस्सा होगा।
- 4.6 उधारकर्ता ऐसी अन्य प्रतिभूतियों को ऋणदाता को स्वीकार्य तरीके और रूप में प्रदान करने का वचन देता है और ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा।
- 4.7 उधारकर्ता स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता ऐसे रूप, मूल्य और तरीके से दी गई सभी / किसी भी सुरक्षा को कॉल करने और लागू करने के लिए स्वतंत्र होगा जो उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में या इस समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा वसूली/वसूल की

गई धनराशि की अपर्याप्तता की स्थिति में, किसी भी तरह से जो वह उचित समझे। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि उधारकर्ता सभी आकस्मिक लागतों और खर्चों को वहन करेगा, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा का सृजन, शीर्षक परिश्रम का संचालन आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

- 4.8 यहां प्रदान की गई प्रतिभूतियों को उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में निरंतर प्रतिभूतियां माना जाएगा। प्रतिभूतियों को तब तक निर्वहन/निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऋण के संबंध में सभी बकाया राशि का ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिया जाता है और जब तक कि ऋणदाता उधारकर्ता और/या गारंटर को लिखित रूप में किसी भी सुरक्षा के संबंध में निर्वहन देने की सहमति नहीं देता है।
- 4.9 उधारकर्ता स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता के पास किसी भी धन पर प्रहणाधिकार का अधिभावी अधिकार होगा जो उधारकर्ता द्वारा देय और देय राशि के खिलाफ किसी भी तरीके से ऋणदाता के कब्जे में आता है और ऋणदाता देय राशि को सेट-ऑफ करने का हकदार होगा।
- 4.10 उधारकर्ता को कानून में यह दलील देने से रोक दिया जाएगा कि ऋणदाता के कब्जे/अभिरक्षा में धन इस समझौते के तहत ऋणदाता की कार्रवाई के बाहरी कारण के अनुसरण में है।
- 4.11 प्रहणाधिकार का अधिकार सभी देनदारियों के विरुद्ध प्रयोग योग्य होगा चाहे ऐसा हो देनदारियां वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपादित, कई या संयुक्त और ऐसे अधिकार हैं; उधारकर्ता और/या गारंटर की मृत्यु सहित किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होगा।
- 4.12 उधारकर्ता और/या गारंटर ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करेगा समझौते/दस्तावेज/दस्तावेज, उपक्रम/एस जिनकी आवश्यकता अभी या इसके बाद किसी भी समय ऋण की अवधि के दौरान या इसके बाद ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी अन्य ऋण या ऋण के दौरान हो सकती है, यदि ऋणदाता द्वारा ऐसा आवश्यक हो।

अनुच्छेद- 5: उधारकर्ता की प्रसंविदाएं

- 5.1 उधारकर्ता की सकारात्मक प्रसंविदाएं: उधारकर्ता ऋणदाता के साथ अनुबंध करता है कि ऋण की अवधि के दौरान और जब तक ऋण पूर्ण रूप से परिशोधन नहीं हो जाता:
- a) ऋणी द्वारा अपने ऋण आवेदन/अंतिम उपयोग पत्र में बताए गए उद्देश्यों के लिए न कि किसी भी तरह से अन्य उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग किया जाएगा। ऋणी पुनः इस बात से सहमत है कि ऋणदाता को ऋणी द्वारा बताए गए अनुसार अंतिम उपयोग की निगरानी या लेखा परीक्षा करने का अधिकार है, जिसमें ऋणी के लेखा परीक्षक/परीक्षकों को अलग से अधिदेश प्रदान करने का अधिकार भी शामिल है।
- b) उधारकर्ता संपत्ति को अच्छी स्थिति और स्थिति में बनाए रखेगा और जब तक ऋण पूर्ण रूप से परिशोधन नहीं हो जाता है, तब तक सभी आवश्यक सुधार करेगा;
- c) उधारकर्ता ऐसे किसी भी बदलाव के सात (7) दिनों के भीतर अपने रोजगार, व्यवसाय या पेशे में किसी भी बदलाव के बारे में ऋणदाता को सूचित करेगा।
- d) उधारकर्ता संपत्ति रखने के लिए सभी निबंधन और शर्तों और संबंधित सहकारी समिति, संघ या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों आदि का विधिवत और समय पर पालन करेगा और संपत्ति के रखरखाव के लिए ऐसे रखरखाव और अन्य प्रभारों के साथ-साथ किसी भी अन्य देय राशि आदि का भुगतान करेगा, जो संपत्ति या उसके उपयोग के संबंध में देय हो सकते हैं;
- e) उधारकर्ता सतर्क रहेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण के लंबित रहने के दौरान संपत्ति, भूकम्प, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, आंधी, चक्रवात, सिविल हंगामा आदि जैसे सभी जोखिमों के लिए हमेशा विधिवत और उचित रूप से बीमाकृत हो, ऋणदाता को स्वीकार्य हो, जिसमें ऋणदाता पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी हो और समय-समय पर ऋणदाता को इसका सबूत स्वयं प्रस्तुत करे। उधारकर्ता प्रीमियम राशि का भुगतान तुरंत और नियमित रूप से करेगा ताकि पॉलिसी/पॉलिसियों को हर समय जीवित रखा जा सके जब तक कि ऋण पूर्ण रूप से परिशोधन न हो जाए;
- f) उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को संपत्ति को किसी भी भौतिक हानि/क्षति के बारे में सूचित करेगा जो किसी भी कारण से हो सकता है; उधारकर्ता संपत्ति या संपत्ति के उपयोगकर्ता में किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन के विवरण को सूचित और प्रस्तुत करेगा, जिसे उधारकर्ता ऋण की पेंडेंसी के दौरान बनाने का प्रस्ताव करता है;
- g) उधारकर्ता लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार सभी नगरपालिका करों, जमीन के किराए और ऐसे अन्य नगरपालिका और स्थानीय शुल्कों का भुगतान करेगा;
- h) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो वह इस तरह के शुल्क के निर्माण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ उचित रूप में ऋणदाता के पक्ष में बनाए गए शुल्क को पंजीकृत करेगी;
- i) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति है, तो वह ऋणदाता या उसके किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि को अपने खातों की पुस्तकों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, कागजात और अभिलेखों का

निरीक्षण करने की अनुमति देगा जो ऋणदाता द्वारा उपयुक्त और उचित समझे जा सकते हैं;

- j) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो यह अनुसूची में उल्लिखित स्तरों पर ऋण इकिटी अनुपात और वर्तमान अनुपात बनाए रखेगा;
- k) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो वह तुरंत ऋणदाता को अपने कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय के स्थान, नाम, उधारकर्ता की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि में परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा।
- l) उधारकर्ता सहमत होता है और केवल उस उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग करने का वचन देता है जिसके लिए ऋणदाता द्वारा ऋण लागू किया गया था और स्वीकृत किया गया था और किसी भी अवैध, असामाजिक, सट्टा उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग नहीं करेगा, जिसमें स्टॉक में भागीदारी शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।
- m) उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता को ऋणदाता को यह प्रकट करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है कि ऋण के संबंध में समय-समय पर संशोधित और समय-समय पर उसके तहत निर्दिष्ट प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पठित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' प्रस्तुत करता हूँ, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3 (21) में परिभाषित किसी भी 'सूचना उपयोगिता' के लिए इसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों और समय-समय पर बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और एतद्वारा विशेष रूप से संबंधित सूचना यूटिलिटी द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को तुरंत प्रमाणित करने के लिए सहमत हूँ।
- n) यदि ऋणी एक कंपनी है, तो ऋणी द्वारा अपने बोर्ड में किसी ऐसी कंपनी के प्रवर्तक या निदेशक को शामिल नहीं किया जाएगा जो जानबूझकर बाक़ीदार है या ऋणी के मामलों के प्रबंधन का प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी समय-समय पर आरबीआई और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जानबूझकर बाक़ीदार के रूप में पहचान की गई है या यदि ऋणी के बोर्ड में जानबूझकर बाक़ीदार व्यक्ति का प्रवर्तक या निदेशक है या ऋणी के मामलों के प्रबंधन का प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति जानबूझकर बाक़ीदार है, तो ऐसे ऋणी द्वारा, इस बारे में पता चलने पर तुरंत ऐसे व्यक्ति को अपने बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाया जाएगा।

5.2 नकारात्मक वाचाएं: उधारकर्ता ऋणदाता के साथ अनुबंध करता है कि जब तक कि ऋणदाता अन्यथा सहमत न हो:

- a) उधारकर्ता संपत्ति या उसके किसी हिस्से के कब्जे के साथ बाहर जाने या अन्यथा भाग नहीं देगा;
- b) उधारकर्ता इस समझौते या उसके किसी भी हिस्से के अनुसार प्रदान की गई संपत्ति या किसी अन्य सुरक्षा को बेचने, गिरवी, बंधक, पट्टे, समर्पण, रिडीम या अन्यथा चाहे जो भी हो, अलग या भारग्रस्त नहीं करेगा (इस समझौते के अनुसार बनाए गए शुल्क को छोड़कर);
- c) उधारकर्ता किसी व्यक्ति, संस्था या स्थानीय निकाय या सरकारी निकाय के साथ संपत्ति या उसके किसी हिस्से के उपयोग, कब्जे या निपटान के लिए तब तक कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा जब तक कि ऋण का परिशोधन नहीं हो जाता है और ऋणदाता द्वारा इसके पक्ष में 'कोई देयता' प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है;
- d) उधारकर्ता संपत्ति के उपयोग को नहीं बदलेगा। यदि संपत्ति का उपयोग आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋणदाता, किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा, जिसे ऋणदाता लेने का विकल्प चुन सकता है, अपने विवेकाधिकार में, ब्याज की ऐसी उच्च दर चार्ज करने का हकदार होगा, जैसा कि वह परिस्थितियों में तय कर सकता है;
- e) उधारकर्ता अपनी संपत्ति को किसी अन्य आसन्न संपत्ति के साथ विलय या संयोजित नहीं करेगा और न ही वह संपत्ति पर रास्ते का कोई अधिकार या कोई अन्य सुखभोग बनाएगा;
- f) उधारकर्ता किसी के लिए ज़मानत नहीं देगा या इस समझौते के अनुसार प्रदान की गई किसी भी गारंटी को छोड़कर, किसी भी ऋण या किसी भी संपत्ति की खरीद मूल्य की चुकोती की गारंटी नहीं देगा;
- g) उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति से कोई और राशि उधार नहीं लेगा।
- h) यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के गठन, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व या नियंत्रण या शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं करेगा;
- i) यदि उधारकर्ता एक फर्म है, तो उधारकर्ता ऋणदाता से पूर्व लिखित सहमति के बिना साझेदारी में नए भागीदारों को भंग या स्वीकार नहीं करेगा;
- j) यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता किसी अन्य कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के साथ पुनर्निर्माण या व्यवस्था या विलय या सम्मेलन में प्रवेश नहीं करेगा या ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी साझेदारी में प्रवेश नहीं करेगा।

अनुच्छेद- 6: उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व और वारंटी

- 6.1 उधारकर्ता एतद्वारा वारंट का प्रतिनिधित्व करता है और ऋणदाता को निम्नानुसार वचन देता है:
- a) उधारकर्ता अपने ऋण में जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है ऋणदाता को किया गया आवेदन और इस संबंध में ऋणदाता को दी गई कोई भी पूर्व या बाद की जानकारी या स्पष्टीकरण।
- b) उक्त ऋण आवेदन के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो ऋण के उद्देश्य या ऋण के अनुदान को प्रभावित करेगा जैसा कि ऋण आवेदन में प्रस्तावित है।
- c) कि कोई बंधक, शुल्क, लिस-पेंडेंस या ग्रहणाधिकार या अन्य नहीं हैं ऋणभार या रास्ते का कोई अधिकार, प्रकाश या पानी या अन्य सुखभोग या संपत्ति के पूरे या किसी भी हिस्से पर समर्थन का अधिकार।
- d) यह कि उधारकर्ता किसी भी भौतिक चरित्र के किसी भी मुकदमे का पक्षकार नहीं है और

उधारकर्ता को ऐसे किसी तथ्य के बारे में पता नहीं है जो इस तरह के मुकदमेबाजी या उधारकर्ता के खिलाफ भौतिक दावों को जन्म दे सकता है।

- e) उधारकर्ता को किसी भी दस्तावेज, निर्णय या कानूनी प्रक्रिया या संपत्ति के शीर्षक को प्रभावित करने वाले किसी भी अव्यक्त या पेटेंट दोष के अन्य आरोपों या संपत्ति या उसके शीर्षक में किसी भी भौतिक दोष के बारे में पता नहीं है जो अघोषित रह गया है और/या जो ऋणदाता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
- f) कि उधारकर्ता की संपत्ति केंद्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी योजना या केंद्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगर समिति, ग्राम पंचायत की किसी भी योजना के तहत सड़क के किसी भी संरक्षण, चौड़ीकरण या निर्माण द्वारा शामिल या प्रभावित नहीं है, आदि।
- g) कि ऋणदाता के पास बंधक रखी जाने वाली संपत्ति के संबंध में नगरपालिका मजिस्ट्रेट के न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित नहीं है और न ही उधारकर्ता को नगरपालिका अधिनियम या स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए या ऐसे किसी अधिनियम के तहत किसी अन्य प्रक्रिया के साथ कोई नोटिस दिया गया है।
- h) यह कि उधारकर्ता ने ऋणदाता को अपनी संपत्ति से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा किया है और उन्हें अपने कब्जे में शीर्षक के सभी संबंधित दस्तावेजों सहित सभी शीर्षक विलेख उपलब्ध कराए हैं।
- i) कि उधारकर्ता ने आयकर और अन्य सभी करों और राजस्व जैसी सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को किया है और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है।
- j) यह उधारकर्ता का दायित्व होगा कि वह खुद को परिचित रखे समय-समय पर लागू ऋणदाता के नियमों का उल्लेख किया गया है। लागू कानूनों/नियमों/विनियमों/बाजार शक्तियों में परिवर्तन के अनुसरण में प्रभारों की अनुसूची में कोई भी परिवर्तन अनुबंध की शर्तों को शाखा में उपलब्ध कराया जाएगा और हमारी वेबसाइट पर www.sbf.com पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

अनुच्छेद- 7: डिफॉल्ट की घटनाएं और ऋणदाता के लिए उपलब्ध उपाय

- 7.1 यदि डिफॉल्ट की एक या अधिक घटनाएं घटित हुई हैं, तो, ऋणदाता, उधारकर्ता को एक लिखित नोटिस द्वारा मूलधन और ऋण पर सभी अर्जित ब्याज और शुल्कों की घोषणा कर सकता है जो उधारकर्ता द्वारा या शर्तों के तहत भुगतान किया जा सकता है। इस समझौते और/या किसी भी अन्य समझौते, उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच मौजूद दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी शुल्क और देय राशि और ऐसी घोषणा पर यह तत्काल देय हो जाएगा। और इस समझौते या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऋण और किसी भी अन्य ऋण के संबंध में सुरक्षा लागू करने योग्य हो जाएगी। उस तिथि तक कोई भी राशि/ऋण संचितरित न होने की स्थिति में, उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- 7.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि डिफॉल्ट की घटना होने पर, ऋणदाता इस समझौते के अनुसरण में बनाई गई किसी भी प्रतिभूति को किसी भी क्रम में लागू कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
- 7.3 उपरोक्त के अलावा, जब तक डिफॉल्ट की घटना जारी रहती है, उधारकर्ता अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करेगा, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है, यहाँ डिफॉल्ट की घटना की घटना की घटना की तारीख से, जब तक कि डिफॉल्ट की ऐसी घटना (घटनाओं) को सुधारा नहीं जाता है और उसके संबंध में अंतिम भुगतान ऋणदाता को किया जाता है, ऋणदाता के लिए उपलब्ध उपायों या डिफॉल्ट की घटनाओं के परिणामों के लिए किसी भी पूर्वाग्रह के बिना
- 7.4 अनुच्छेद 7.1 के तहत ऋणदाता में प्रदत्त अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उपरोक्त, चूक की घटना होने पर, ऋणदाता के पास किसी भी कानून के तहत सुरक्षित लेनदारों को प्रदान किए गए सभी अधिकार होंगे, जिनमें वित्तीय परिपंक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या उसका कोई संशोधन या पुनःअधिनियम शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- 7.5 डिफॉल्ट की घटना के होने पर ऋणदाता को सूचना: यदि डिफॉल्ट की कोई घटना या कोई भी घटना, जो नोटिस या समय की चूक के बाद या दोनों डिफॉल्ट की घटना का गठन करेगी, उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को लिखित रूप में नोटिस देगा जिसमें डिफॉल्ट की ऐसी घटना, या ऐसी घटना निर्दिष्ट की जाएगी।
- 7.6 उधारकर्ता और की संपत्ति के संरक्षण का खर्च संग्रह
- a) उधारकर्ता को संपत्ति के संरक्षण के व्यय और संग्रह: डिफॉल्ट की घटना के बाद ऋणदाता द्वारा किए गए सभी उचित लागत के संबंध में हुआ है: (वाहे अभी या इसके बाद मौजूद); नहीं तो
- b) इस समझौते के तहत देय राशियों का संग्रह उधारकर्ता से लिया जा सकता है और प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि ऋणदाता निर्दिष्ट करेगा।
- 7.7 प्रमाण पत्र जारी करना: ऋणदाता इस समझौते के संदर्भ में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, यदि उधारकर्ता ने इस समझौते के तहत ऋणदाता को सभी देय राशियों का भुगतान किया है और उधारकर्ता ने इस समझौते की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
- 7.8 तीसरे दल के साथ संचार: चूक की घटना होने पर, ऋणदाता किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को या व्यक्तियों के साथ या किसी भी तरह से संचार करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चूक की गई राशि की वसूली के लिए है, जिसमें संपत्ति और/या उधारकर्ता के किसी भी कार्यस्थल का दौरा करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।
- 7.9 उपयुक्त अधिकारियों को नामों का प्रकटीकरण: उधारकर्ता एतद्वारा

ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण की पूर्व-शर्त के रूप में सहमत हों कि यदि उधारकर्ता ऋण के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में या नियत तारीख को ऋण की किसी भी सहमत किस्त में चूक करता है, तो ऋणदाता के पास उधारकर्ता और/या गारंटर के नाम का खुलासा करने या प्रकाशित करने का एक अयोग्य अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, चूककर्ता के रूप में, इस तरह से और ऐसे माध्यम के माध्यम से जो ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।

7.10 बकाया राशियों की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: ऋणी द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न करने की स्थिति में, एसबीएफसी को ऋण अनुबंध और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ऋणी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई संस्थित करने का अधिकार होगा। ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अनुसार एसबीएफसी द्वारा आवेदक/ऋणी को नोटिस भेजा जाएगा।

बंधक/प्रतिभूतियों के प्रवर्तन की वसूली प्रक्रिया, जिसमें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) या किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बंधक संपत्ति का कब्जा लेना और बेचना शामिल है, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं है, का पूरी तरह से संबंधित कानून के अंतर्गत निर्धारित निर्देशों के अंतर्गत पालन किया जाएगा। परक्राम्य लिखित अधिनियम, सिविल मुकदमा, सरफेसी अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानूनी साधनों द्वारा बकाया राशियों की वसूली के लिए उचित कानूनी कदम उठाने से पहले ग्राहक/ग्राहकों को सूचनाएं/अनुस्मारक/नोटिस दिए जाएंगे।

एसबीएफसी द्वारा लागू कानून के अनुसार बकाया राशियों की वसूली के लिए अपने वसूली एजेंटों/तृतीय पक्ष से वसूली एजेंट को नियुक्त किया जा सकता है।

7.11 शिकायत निवारण तंत्र:

स्तर 1	एसबीएफसी 15 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहकों की पृष्ठताछ/समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहक customercare@sbfc.com पर लिखकर या हमारे कॉल सेंटर नंबर 022-68313333 पर कॉल कर अपनी पृष्ठताछ/समस्याओं को संबोधित कर सकते हैं।
स्तर 2	यदि ग्राहक स्तर 1 पर प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक servicehead@sbfc.com पर ग्राहक सेवा के प्रमुख को अपनी शिकायत भेज सकता है।
स्तर 3	यदि ग्राहक स्तर 1 और स्तर 2 पर प्रदान किए गए समाधान से पुनः संतुष्ट नहीं है, तो ग्राहक management.sbfc@sbfc.com पर अपनी शिकायत भेज सकता है।

अनुच्छेद - 8: अधिल्याग

8.1 इस समझौते, बंधक विलेख या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज के तहत किसी भी डिफॉल्ट पर ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या चूक करने में कोई देरी नहीं होगी, किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को खराब करेगा या छूट के रूप में माना जाएगा या इस तरह के डिफॉल्ट में कोई भी अधिग्रहण किसी भी अधिकार को प्रभावित या बाधित करता है, किसी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता की शक्ति या उपाय।

अनुच्छेद- 9: समझौते की प्रभावी तिथि

9.1 निष्पादन की तारीख से प्रभावी होने के लिए समझौते:

यह समझौता उधारकर्ता और ऋणदाता के लिए निष्पादन की तारीख को और उसके बाद से बाध्यकारी हो जाएगा। यह तब तक पूरी तरह से लागू रहेगा जब तक कि ऋण पूरी तरह से परिशोधित/चुकाया नहीं जाता है और इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय और देय किसी भी अन्य धन के साथ-साथ अन्य सभी समझौतों, दस्तावेजों जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित हो सकते हैं, पूरी तरह से भुगतान किया जाता है।

अनुच्छेद- 10: विविध

उधारकर्ता द्वारा भुगतान का स्थान और तरीका: सभी देय धन और

10.1 इस समझौते के तहत या शर्तों के तहत ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा देय पंजीकृत कार्यालय या ऋणदाता के संबंधित क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो शहर या शहर में एक अनुसूचित बैंक पर ऋणदाता के पक्ष में तैयार किया गया है जहां ऐसा पंजीकृत कार्यालय / शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है या किसी अन्य तरीके से जैसा कि ऋणदाता द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और इस प्रकार भुगतान किया जाएगा ऋणदाता को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान करने की मांग की गई राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिस पर भुगतान देय तिथि से संबंधित है। आहरित चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सभी भुगतानों के लिए ऋण केवल ऋणदाता द्वारा इसकी वसूली पर दिया जाएगा

10.2 निरीक्षण, कार्यभार:

a) उधारकर्ता, ऋणदाता के अधिकारियों को ऋण के संबंध में उसके द्वारा रखे गए सभी खातों और अन्य अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति देगा। उधारकर्ता ऐसी अन्य कंपनियों, बैंकों, संस्थानों या निकायों के अधिकारियों द्वारा इसी तरह के निरीक्षण की अनुमति देगा जैसा कि ऋणदाता उधारकर्ता को अनुमोदित और सूचित कर सकता है।

b) ऋणदाता को किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में किसी भी पुनर्वित्त सुविधा या ऐसे बैंक, संस्था या निकाय से ऋणदाता द्वारा लिए गए किसी भी ऋण के लिए सुरक्षा के माध्यम से संपत्ति पर प्रभार बनाने का अधिकार होगा। ऋणदाता को किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में संपत्ति पर बंधक को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार होगा, जो ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी भी बिक्री या हस्तांतरण के संबंध में उन्हें दिया जाएगा।

c) ऋणदाता के पास कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने का अधिकार होगा ऋण आवेदन और/या किसी भी दस्तावेज या कागज या बयान में निहित है जो उधारकर्ता और/या उधारकर्ता और/या ऋण से संबंधित या उससे संबंधित है, जिसमें इसके पुनर्भुगतान, आचरण के रूप में, किसी भी रेटिंग या अन्य एजेंसी या संस्था या निकाय को अपने विवेकाधिकार में ऋणदाता के रूप में उचित समझ सकता है। ऋणदाता के पास किसी भी स्रोत या व्यक्ति या संस्था से ऋण और/या उधारकर्ता के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने और/या प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसे उधारकर्ता एतद्वारा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करता है।

10.3 प्रतिभूतिकरण:

a) ऋणदाता ऋण को किसी भी तरह से हस्तांतरित और/या असाइन करके या अन्यथा अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज द्वारा प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, यदि कोई हो, ऋण सौंपने/बेचने/प्रतिभूतिकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और उधारकर्ता एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि उस स्थिति में, ऋणदाता को कोई अनुमति प्राप्त करने या उधारकर्ता को किसी नोटिस पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

b) उधारकर्ता ऐसे किसी भी प्रतिभूतिकरण और ऐसी किसी भी बिक्री, समनुदेशन, या हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और उधारकर्ता ऐसे अन्य पक्ष (ओं) को विशेष रूप से लेनदारों के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में, या विशेष रूप से ऋणदाता के अधिकार के साथ स्वीकार करेगा कि वह ऐसी किसी अन्य पार्टी की ओर से सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखे।

c) इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे वह इस तरह की बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया राशि की वसूली के कारण हो, उधारकर्ता के खाते में होगी। उधारकर्ता तीसरे पक्ष को पोर्टफोलियो के हस्तांतरण की स्थिति में ऋण बकाया और ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि के बीच अंतर का भुगतान करने का वचन देता है।

10.4 सह-ऋण:

इस अनुबंध के परिशिष्ट-1 में सह-ऋणयन व्यवस्था का विवरण दिया गया है। ऋणी इस बात से सहमत है कि उसने परिशिष्ट की शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है और परिशिष्ट की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत और वचनबद्ध है।

10.5 क्षतिपूर्ति:

उधारकर्ता ऋणदाता और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को इस समझौते के किसी भी नियम, शर्त, बयान, उपक्रम प्रतिनिधित्व और वारंटी के उल्लंघन के सभी परिणामों से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखने का वचन देता है और साथ ही इसके किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी को किसी भी समय सही नहीं पाया जाता है, किसी भी कार्रवाई, सूट, दावों, कार्यवाही, क्षति, देनदारियों, हानि, खर्च या लागत (बाद में "दावों" के रूप में संदर्भित) का सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा या ऋणदाता द्वारा किए गए खर्च सहित. उधारकर्ता एतद्वारा स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि वह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझता है कि यह क्षतिपूर्ति उधारकर्ता की वारंटी और/या अभ्यावेदन की ओर से सभी कृत्यों और चूक को कवर करेगी। इसी प्रकार, वारंटी के किसी भी उल्लंघन, **अभ्यावेदन**, किसी भी लागू कानून का अनुपालन न करने, अनधिकृत कार्य, धोखाधड़ी, विलेख या उधारकर्ता या उसके कर्मचारियों, एजेंटों द्वारा किए गए या किए जाने वाले वचन या वचन के कारण ऋणदाता पर किए गए किसी भी दावे के झूठे होने की स्थिति में, उधारकर्ता इस खाते पर किसी भी राशि के ऋणदाता द्वारा की गई पहली मांग पर बिना किसी देरी के भुगतान करने का वचन देता है, आरक्षण, प्रतियोगिता, विरोध जो भी इस तरह की मांग किए जाने के 7 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है।

10.6 भुगतानों का विनियोजन: जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा न सहमति दी गई हो, इस अनुबंध के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य और ऋणी द्वारा किया गया कोई भी भुगतान ऐसी बकाया राशियों के प्रति निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्

- ब्याज के प्रति
- ऋण के बकाया मूलधन के प्रति
- लागतों, शुल्कों, खर्चों, आकस्मिक प्रभारों और अन्य धनराशियों के प्रति जिन्हें ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च किया गया होगा;
- अतिरिक्त ब्याज और/या परिसमाप्त क्षति और/या बाक्रीदारी की गई राशि पर दंडात्मक शुल्कों के प्रति;
- पूर्व भुगतान प्रभारों और शुल्कों के प्रति

निपटान, बट्टे खाते में डालने, समापन आदि के मामलों में, इस अनुबंध के अंतर्गत देय और भुगतान योग्य और ऋणी द्वारा किया गया भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्:

- ऋण के बकाया मूलधन के प्रति
- ब्याज के प्रति
- लागतों, शुल्कों, खर्चों, आकस्मिक प्रभारों और अन्य धनराशियों के प्रति जिन्हें ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च किया गया होगा;
- अतिरिक्त ब्याज और/या परिसमाप्त क्षति और/या बाक्रीदारी की गई राशि पर दंडात्मक शुल्कों के प्रति;

e) पूर्व भुगतान प्रभारों और शुल्कों के प्रति

10.7 नोटिस की तामीली : इस समझौते के तहत ऋणदाता या उधारकर्ता को दिए जाने या किए जाने के लिए आवश्यक या अनुमति दी गई कोई भी सूचना या अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा। इस तरह के नोटिस या अनुरोध को विधिवत दिया गया माना जाएगा या किया गया है जब इसे हाथ, मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और किसी भी द्वारा वितरित किया जाएगा

अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड (आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर) उस पार्टी को जिसे नीचे निर्दिष्ट पार्टी के पते पर या ऐसे अन्य पते पर दिए जाने या दिए जाने की अनुमति है या इस तरह के अन्य पते पर पार्टी ने नोटिस द्वारा नामित किया होगा। ऋणदाता के लिए: ऋणदाता का पंजीकृत कार्यालय

ईमेल: जैसा कि कंपनी की वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है अर्थात् उधारकर्ता को www.sbfcc.com: अनुसूची/आवेदन पत्र में वर्णित आवासीय पता या अनुसूची में वर्णित संपत्ति का पता।

ईमेलआईडी: जैसा कि आवेदन पत्र में बताया गया है।

मोबाइल नंबर: जैसा कि आवेदन पत्र में बताया गया है। (एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से)

10.8 उधारकर्ता निम्नानुसार सहमत/पुष्टि करता है:

a) ऋणदाता द्वारा ऋण सुविधा/ऋण खाते/अन्य वित्तीय लेन-देन में ऋणी की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और गलत काम या धोखाधड़ी भरी गतिविधि का संदेह होने/संकेत मिलने पर, ऋणदाता द्वारा अपनी नीति के अनुसार बाहरी लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से आगे की जांच करवाकर इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

b) ऋणदाता बाद के चरण में किसी भी उधारकर्ता से किसी भी विपरीत सलाह/सूचना के बावजूद किसी भी उधारकर्ता को स्वामित्व का दस्तावेज वापस कर सकता है।

c) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारकर्ता के पास ऋणदाता को स्वीकार्य बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी लेने का विकल्प है। यदि उधारकर्ता संवितरण से पहले ऐसी बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं करता है, तो उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता को अपनी ओर से बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है जो उन्हें स्वीकार्य है और वितरित ऋण से बीमा प्रीमियम की राशि घटाता है। इसके अलावा, उधारकर्ता ने उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है/समझाया गया है और उसी से बाध्य होने के लिए सहमत है।

d) ऋणदाता के पक्ष में सौंपी गई बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों को समय पर प्रीमियम का भुगतान करके जीवित रखना क्योंकि वे देय होते हैं और जब भी आवश्यक हो, ऋणदाता को रसीदें प्रस्तुत करना

e) ऋणदाता को किसी भी भुगतान को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार होगा जो उसे ऋण के खिलाफ किसी भी बीमा पॉलिसी/नीतियों के संबंध में प्राप्त हो सकता है और किसी भी तरह से परिशोधन अनुसूची को बदल सकता है जैसा कि वह इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज या कागज में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद उचित समझ सकता है।

f) उधारकर्ता, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून के 30 वें दिन या उससे पहले अपनी वार्षिक आय का एक विवरण, जिसमें लाभ और हानि खाता और अनुलग्नकों के साथ विस्तृत बैलेंस शीट शामिल है, यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता अपने स्वयं के समझौते से ऋणदाता को भेजेगा। हालांकि, ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता को उधारकर्ता के व्यापार, व्यवसाय या पेशे से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी, दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जैसा कि ऋणदाता द्वारा उचित और उचित समझा जा सकता है

g) ऋणदाता को इस समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार है, जिसमें ब्याज की वार्षिक दर, दंड शुल्क, बाउंस शुल्क, स्प्रेड, प्रीपेमेंट शुल्क (चाहे आंशिक प्रीपेमेंट या पूर्ण) के संशोधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।, संचार के किसी भी स्वीकार्य साधन के माध्यम से, बिना कोई कारण बताए, उधारकर्ता को नोटिस द्वारा पुनर्भुगतान का श्रेय देने की विधि और उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऐसा संशोधन दिनांक से संभावित रूप से लागू होगा।

h) कि इसके अधीन अनुसूची के नियम और शर्तें और सभी प्रसंविदाएं और विवरण पढ़े जाएंगे और इन उपहारों के अभिन्न अंग के रूप में समझे जाएंगे।

i) इस समझौते के नियम और शर्तें कानूनी प्रतिनिधियों, वारिस, निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और उधारकर्ता के असाइनमेंट और उत्तराधिकारियों और ऋणदाता के असाइनमेंट पर बाध्यकारी होंगी।

j) इस समझौते को भारत के कानूनों के अनुसार माना जाएगा। पक्षकार यहां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि किसी भी संबंधित दस्तावेजों सहित इस समझौते से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित सभी विवाद उस स्थान के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे/जिस स्थान पर ऋण कार्यालय स्थित है, उसे नियंत्रित करेगा। बशर्ते कि कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी अन्य स्थान के किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने का हकदार होगा, जिसमें क्षेत्राधिकार है बशर्ते कि यदि इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाला कोई विवाद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की आर्थिक क्षेत्राधिकार सीमा से कम है, 1993, तो इस तरह के विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा

जाएगा, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है, या इसके पुनः अधिनियमन, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा, ऋणदाता द्वारा नियुक्त, मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाली पार्टी द्वारा वहन की जाएगी या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित की जाएगी, मध्यस्थता का स्थान वह शहर होगा जिसमें ऋण कार्यालय स्थित है या ऐसा अन्य स्थान जो ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि किसी पार्टी को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने की आवश्यकता होती है, जिस पार्टी के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, वह सभी उचित लागतों और खर्चों और वकीलों की फीस का भुगतान करेगा, पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाली पार्टी द्वारा ली गई अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की किसी भी लागत सहित।

यह कि उधारकर्ता ने इस समझौते को पढ़ और समझ लिया है और इस घटना में कि उधारकर्ता अनपढ़ है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, इस समझौते के नियमों और शर्तों को उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में विस्तार से पढ़ा गया है, अनुवादित किया गया है और समझाया गया है।

स्वीकृति: मैंने/हमने अनुसूचियों में दिए गए विवरण सहित 14 खंडों का गठन करते हुए पूरे समझौते को पढ़ा है जो मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं। मैं/हम अनुसूचियों सहित सभी शर्तों से बंधे रहेंगे। उपरोक्त समझौते और अन्य दस्तावेजों को मुझे/हमें मुझे/हमारे द्वारा समझी गई भाषा में समझाया गया है और 1/हमने विभिन्न खंडों के पूरे अर्थ को समझ लिया है।

लेख- 11: संग्रह

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से पहचानता है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता, इस तरह की गतिविधियों को स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हकदार होगा, और ऐसा करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार है, एक या एक से अधिक तृतीय पक्षों को नियुक्त करने के लिए जैसा कि ऋणदाता चुन सकता है और ऐसे तीसरे पक्ष को उसके सभी या किसी भी कार्य को सौंप सकता है, इस समझौते के तहत ऋण के प्रशासन से संबंधित अधिकार और शक्तियां, जिसमें उधारकर्ता से ऋणदाता की ओर से सभी देय और अवैतनिक ईएमआई और इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय अन्य राशियों को इकट्ठा करने और प्राप्त करने का अधिकार और अधिकार शामिल है, और नोटिस भेजने सहित सभी वैध कार्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों और आकस्मिक चीजों को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए, उधारकर्ता से संपर्क करना, उधारकर्ता से नकद/चेक/ड्राफ्ट/मैट्टेड प्राप्त करना और उधारकर्ता को वैध और प्रभावी रसीद और डिस्चार्ज देना। पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए या ऋणदाता के विवेक पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऋणदाता ऐसे तीसरे पक्ष को उधारकर्ता और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने का हकदार होगा और उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमत होता है, उपरोक्त के बावजूद, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और ऋणदाता (और/या किसी भी तीसरे पक्ष के रूप में ऋणदाता का चयन कर सकता है) को तीसरे पक्ष से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता है (उधारकर्ता के परिवार के सदस्यों सहित) और उधारकर्ता और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करें और उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता (और/या ऐसे किसी तीसरे पक्ष के रूप में ऋणदाता का चयन कर सकता है) द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमत होता है।

अनुच्छेद- 12: प्रकटीकरण

12.1 पूर्वगामी में से किसी के बावजूद, उधारकर्ता समझता है कि उधारकर्ता को ऋण प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में, ऋणदाता को उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता होती है, उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधा, उधारकर्ता द्वारा आश्वासन/दायित्वों के संबंध में उधारकर्ता द्वारा आश्वासन दिया जाना और चूक, यदि कोई हो, तो उधारकर्ता द्वारा उसके निर्वहन में प्रतिबद्ध। तदनुसार, उधारकर्ता एतद्वारा सहमत होता है और ऋणदाता द्वारा सभी या ऐसे किसी भी प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है-

a) उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा;
b) उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा ; तथा

c) ऋणदाता द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन में किए गए चूक, यदि कोई हो, जैसा कि ऋणदाता क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और भारत के रिजर्व ऋणदाता द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को खुलासा करने और प्रस्तुत करने के लिए उचित और आवश्यक समझ सकता है।

12.2 उधारकर्ता आगे घोषणा करता है कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है।

12.3 उधारकर्ता यह भी समझता है कि:

- a) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकती है; तथा
- b) ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड कोई अन्य एजेंसी अधिकृत संसाधित जानकारी और उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा या उत्पादों को ऋणदाताओं/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि इस संबंध में रिजर्व ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता भी सहमत है और अपने हितों की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी या किसी भी जानकारी/दस्तावेज या डेटा के ऋणदाता द्वारा प्रकटीकरण के लिए अपनी स्पष्ट सहमति देता है: आयकर अधिकारियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (क्रेडिट संदर्भ जांच के प्रयोजन के लिए) या किसी अन्य सरकारी या विनियामक प्राधिकारी, निकाय, विभाग/प्राधिकरण, जब भी मांग की जाए; और
- c) किसी न्यायालय या न्यायिक, वैधानिक या नियामक प्राधिकरण / टिबूनल / मध्यस्थ को इस आशय के आदेश/निर्देश के अनुसरण में, जब और जब आवश्यक हो। इसके अलावा, ऋणदाता अपनी किसी भी सहयोगी संस्थाओं, ऋणदाता के सहयोगियों, सहयोगियों या समूह कंपनियों के साथ उपरोक्त सभी या किसी भी जानकारी/दस्तावेज या डेटा को साझा करने का भी हकदार होगा। ऋणदाता उधारकर्ता को इस संबंध में कोई और नोटिस जारी किए बिना प्रकटीकरण के उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा। उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से गोपनीयता, गोपनीयता और मानहानि के विशेषाधिकार का त्याग करता है। उधारकर्ता आगे स्वीकार करता है कि उधारकर्ता द्वारा किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी यदि उधारकर्ता भविष्य में नए उत्पादों सहित किसी भी अतिरिक्त वित्तीय सुविधा का लाभ उठाने की इच्छा रखता है या ऋणदाता प्रदान करता है।

13. क्रॉस देयता: -

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि उधारकर्ता किसी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या जिसे उस तारीख से पहले घोषित किया जा सकता है जब वह अन्यथा देय हो जाता है या इस समझौते या ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत कोई चूक करता है जिसके तहत उधारकर्ता ऋणदाता के साथ वित्तीय/क्रेडिट सुविधाओं का आनंद ले रहा है, फिर, ऐसी घटना में, ऋणदाता, इस समझौते या अन्य समझौतों के तहत अपने किसी भी विशेष अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना, इस समझौते और अन्य समझौतों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूरी तरह से हकदार होगा जैसे कि डिफॉल्ट की घटना इस समझौते और अन्य समझौतों के तहत हुई है।

14. क्रॉस कोलैटरल

- 14.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस समझौते के तहत ऋण और अन्य राशियों के उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान की स्थिति में, लेकिन उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई बकाया राशि या उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कोई बकाया राशि नहीं है, तो ऐसी घटना में, ऋणदाता इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता एतद्वारा ऋणदाता को ऐसी बकाया वित्तीय सुविधा को कवर करने के लिए सुरक्षा का विस्तार करने के लिए अधिकृत करता है। इसी तरह, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई बकाया होने की स्थिति में, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए उधारकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता इस समझौते के तहत बकाया राशि को कवर करने के लिए ऐसी सुरक्षा का विस्तार करने का वचन देता है।
- 14.2 कि यदि उधारकर्ता किसी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या जिसे उस तारीख से पहले देय घोषित किया जा सकता है जब वह अन्यथा देय हो जाता है या इस समझौते या ऋणदाता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत कोई चूक करता है जिसके तहत उधारकर्ता ऋणदाता के साथ वित्तीय/क्रेडिट सुविधाओं का आनंद ले रहा है, तो, ऐसी स्थिति में, ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए अनुसूचित संपत्ति पर उधारकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता इस समझौते के तहत बकाया देय राशि को कवर करने के लिए ऐसी सुरक्षा का विस्तार करने का वचन देता है।
- 14.3 कि उधारकर्ता के साथ प्रमोटर कहता है कि वे जानते हैं कि एसबीएफसी को दिए गए पूर्वोक्त आश्वासन के आधार पर, एसबीएफसी उधारकर्ता को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। उधारकर्ता द्वारा पूर्वोक्त का उल्लंघन डिफॉल्ट और सुविधा शर्तों के उल्लंघन की घटना के बराबर होगा और परिणामस्वरूप, एसबीएफसी अपने स्वयं के विकल्प और एकमात्र विवेक पर उक्त क्रेडिट सुविधाओं के तहत किसी भी आगे की राशि का वितरण करने से इनकार कर सकता है और सभी उपचारात्मक कदम उठा सकता है जैसा कि एसबीएफसी किसी भी अनुबंध के तहत या कानून द्वारा या अन्यथा जैसा भी एसबीएफसी उचित समझे, जिसमें संपूर्ण बकाया राशि को वापस लेने सहित सभी उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय (अर्तर्नी की लागत सहित) के साथ और एसबीएफसी उधारकर्ता के खिलाफ सभी अधिकारों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ताओं और आई या गारंटर्स द्वारा एसबीएफसी के पक्ष में बनाई गई प्रतिभूतियों का प्रवर्तन शामिल है।
- 14.4 पार्टियां सहमत हैं कि इस उपक्रम से उत्पन्न और संबंधित किसी भी विवाद को एसबीएफसी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। उक्त एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने पृष्ठ संख्या 1 से 9 में निहित पाठ को पढ़ा और समझा है।

कर्जदार

सह-उधारकर्ता (1)

सह-उधारकर्ता (2)

सह-उधारकर्ता (3)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के लिए